महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा: एक विवेचन

शोध संक्षेप

भारत गावों का देश है। इसकी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। दुनिया में अनेक संस्कृतियों के बीच भारतीय संस्कृति की अलग ही पहचान है। गाँव सामुदायिक जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। वेदों का मंत्र है विश्वं पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम अर्थात मेरे गाँव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। यह दर्शन बिना स्वराज्य के नहीं हो सकता। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा वैदिक विचारों का ही विस्तार है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

गांवों को शासन की आत्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी के समग्र चिंतन एवं दर्शन का केंद्र गांव ही रहे हैं। इस कारण यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में विकास की संरचना गांवां को केंद्र मानकर बनायी गयी। इस संदर्भ में ग्राम स्वराज व्यवस्था में गांवों की सहभागिता एवं सक्रियता की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। स्वराज एक पवित्र एवं वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मशासन और आत्म संयम। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी का या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज्य शब्द में नहीं है।1 स्वराज्य से गांधी जी का अभिप्राय लोक-सम्मति के अनुसार होने वाला शासन है। गांधी जी के मतानुसार, "सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो तब सब लोगों द्वारा प्रतिकार करने की क्षमता उसमें है।"2 राजनीतिक स्वतंत्रता से यह मतलब नहीं है कि हम ब्रिटेन की लोकसभा की या रूस के सोवियत शासन की या इटली के फासिस्ट शासन की अथवा जर्मनी के नाजी शासन की नकल करें। उन देशों की शासन पद्धतियां उनकी अपनी प्रकृति के अनुसरूप है। हमारी शासन पद्धति हमारी प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, यह लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है।

स्वराज्य सत्य और अहिंसा के शुद्ध साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के द्वारा कायम रखा जा सकता है। सच्ची लोकसत्ता या जनता का स्वराज्य कभी भी असत्यमय और हिंसक साधनों से नहीं आ सकता। कारण स्पष्ट और सीधा है - यदि असत्यमय और हिंसक

उपयों का प्रयोग किया गया तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सारा विरोध तो विरोधियों को दबाकर या उनका नाश करके खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रकट होने का पूरा अवसर केवल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासन में ही मिल सकता है।3 किसी राष्ट्रीय समाज के स्वराज्य का अर्थ उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों के स्वराज्य अर्थात आत्मशासन का योग ही है और ऐसा स्वराज्य व्यक्तियों द्वारा नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्य के पालन से ही आता है। उसमें कोई अपने अधिकारों की बात नहीं सोचता। जब उनकी आवश्यकता होती है तब वे उन्हें अपने आप मिल जाते हैं और इसलिए मिलते हैं वे अपने कर्तव्य का सम्पादन ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। ग्राम व्यवस्थाओं के संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था कि कोई व्यक्ति या समूह जितना अधिक अपना ही विचार करेगा, उतना ही अधिक खतरा उस व्यक्ति के अथवा समूह के स्व-केंद्रित, स्वार्थी और संकुचित बन जाने का रहेगा। आज हमारे गांव में सामाजिक फूट, जातिवाद और संकुचित दृष्टि से दोषों से कष्ट भोग रहे हैं। ग्राम पंचायतों को सफल बनाने का मार्ग गुलाब के फूलों से छाया हुआ नहीं है। इस कार्य में ग्राम नेताओं से सच्ची सेवा भावना की अपेक्षा रखी जाती है।

गांधीजी के ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत

महात्मा गांधी केवल विचार नेता ही नहीं थे, उन्होंने अपने विचारों को कर्मों के रूप में साकार कर जीवन पर्यंत व्यावहारिक स्वरूप में ढाला है। गांधीजी ने गांवों को भारत की आत्मा कहा और ग्रामीणों के उत्कर्षपूर्ण जीवन के लिए हमेशा उत्कृष्ट, आत्मनिर्भर, आदर्शवादी पंचायतीराज और ग्राम स्वराज की धारणा का प्रशस्तीकरण किया, जिसके व्यावहारिक क्रियान्वयन से ग्राम सम्पूर्ण विकास की दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। वर्तमान पंचायती ग्राम स्वराज व्यवस्था इसी गांधीवादी स्वरूप को आधार बनाकर फलीभूत हुई है।4 महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1 मानव का सर्वोच्च ध्येय है लोगों को सुखी बनाना और इसके साथ उनकी बौद्धिक और नैतिक उन्नति भी करना। नैतिक उन्नति से अर्थ यहां आध्यात्मिक उन्नति से है। यह ध्येय विकेंद्रीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीकरण की पद्धति अहिंसक समाज रचना से भिन्न है।

2 समानता - हर एक को अपने विकास के और अपने जीवन को सफल बनाने के समान अधिकार मिलते रहने चाहिए। यदि अवसर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। जिस तरह सच्चे नीति धर्म में और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं होता, उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी नीति धर्म के उंचे से उंचे आदर्श का विरोधी नहीं होता।

3 संरक्षकता - आर्थिक समानता की जड़ में धनवानों को संरक्षता के सिद्धांत में विश्वास होना चाहिए। इस आदर्श के अनुसार धनवान को अपने पड़ोसी से एक कौड़ी भी ज्यादा रखने का अधिकार नहीं। जब मनुष्य अपने आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज की खातिर धन कमायेगा, समाज के कल्याण के लिए उसे खर्च

करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आएगी। उसके साहस में भी अहिंसा होगी।

4 विकेंद्रीकरण - गांधी जी ने कहा है कि यदि भारत को अपना विकास करना है तो उसे बहुत-सी चीजों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। केंद्रीकरण किया जाए तो फिर उसे कायम रखने के लिए और उसकी रक्षा के लिए हिंसाबल अनिवार्य है।

5 स्वदेशी - स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है। गांधीजी के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने पड़ोसियों के प्रति है। इसमें परदेशी के प्रति द्वेष नहीं है और स्वदेशी के लिए पक्षपात नहीं है। असल में तो इस स्वदेशी धर्म में तो अपने-पराये का भेद नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए इतना ज्ञान हमारे लिए काफी होना चाहिए।''5

6 स्वावलंबन - समाज का घटक एक गांव या लोगों का ऐसा छोटा समूह होना चाहिए जिसकी व्यवस्था हो सके और जो आदर्श की दृष्टि से जीवन की मुख्य आवश्यकताओं के बारे में स्वयंपूर्ण और आत्मनिर्भर हो।''6 हर गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी करना होंगी, ताकि वह अपना सार कारोबार स्वयं चला सके। यहां तक कि वह सारी दुनिया से अपनी रक्षा स्वयं कर सके।7

सहयोग - गांधीजी के मतानुसार मनुष्यों को सहयोग से रहना चाहिए और सहयोग के आधार पर ही समस्त कार्य किए जाएं। सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। सहकारिता की पद्धति किसानों के लिए ही ज्यादा जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सहभागिता का आधार पूर्ण अहिंसा पर होगा।

8 सत्याग्रह - सत्याग्रह और असहयोग के शास्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज के शासन का बल होगा।

9 सब धर्मों में समानता - समस्त धर्म मूल में एक ही हैं। यद्यपि वे पेड़ पत्तों की तरह ब्योरे में हैं और ब्रह्म रूप में एक-दूसरे से अलग-अलग है। सभी प्रचलित धर्म सत्य को प्रकट करते हैं। गांधीजी ने कहा था कि ग्राम स्वरज्य में हर एक धर्म की अपनी पूरी और बराबरी की जगह होगी।

10 पंचायती राज - गांव का शासन चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष गांव के पांच व्यक्तियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के वयस्क स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि अपने पंच चुन लें।''9

चूंकि इस ग्राम स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा अथवा दंड की कोई प्रथा नहीं रहेगी, इसलिए यह पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं धारासभा, न्यायसभा और व्यवस्थापिका सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी।

नयी तालीम

शिक्षा से गांधीजी का अभिप्राय यह है कि बालक अथवा प्रौढ़ की शरीर, मन, आत्मा की उत्तम क्षमताओं का सर्वांगीण विकास किया जाए और उन्हें प्रकाश में लाया जाए। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और न उसका आरंभ है। वह तो मनुष्य की शिक्षा के साधनों में केवल एक साधन है। अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नहीं है। गांधीजी ने कहा था कि बच्चे को दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षण वह अपनी शिक्षा का आरंभ करे उसी क्षण से उसे उत्पादन योग्य बनाना चाहिए।

गांधीजी ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी ने अपने समग्र वैचारिक दर्शन में पंचायतों पर भी प्रमुखता से चिंतन केंद्रित किया था। ग्रामों की भावी दिशा कैसी हो इसके लिए एक सुदृढ़ पंचायती राज सोपान के गांधीजी सदैव हिमायती रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पंचायतीराज के मूलभूत स्वरूप को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत भी किया है। वर्तमान समय में पंचायतों में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी वर्तमान व्यवस्था में कुछ चुनौतियां हैं, जिससे निपटना आवश्यक है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि आदि चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है, तभी सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज की सार्थकता सिद्ध होगी।